

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड - 2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14012/26/2012-अ.भा.सं.-111

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक : 3 सितंबर 2012

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश संवर्ग में सम्मिलित किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि (तिथियों) से स्थायी करते हैं :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	बैच	स्थायी करने की तारीख
1	अमृत त्रिपाठी	2008	01/09/2010
2	अनिल धींगरा	2008	01/09/2010
3	बी चन्द्रकला	2008	01/09/2010
4	के विजेन्द्र पांडियल	2008	01/09/2010
5	काजल	2008	01/09/2010
6	किजल सिंह	2008	01/09/2010
7	कुमार रविकांत सिंह	2008	01/09/2010
8	पवन कुमार	2008	01/09/2010
9	राजेश कुमार	2008	01/09/2010
10	एस मैथ्यू शालिनी	2008	01/09/2010
11	सरोज कुमार	2008	01/09/2010

नवनीत मिश्रा
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)